राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या...........1524 / 2016..................................... जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स निर्मल कार्स प्रा. लिमि., जी–1, ए–2, ग्राउण्ड फ्लोर, कॉर्पोरेट टॉवर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत, राज., जयपुर   2. अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वा. कर, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य**	
11 / 08 / 2016	अपीलार्थी द्वारा यह अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र सहित अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के स्थगन प्रार्थना–पत्र संख्या अ.प्रा.–II / स्थगन / अ.सं. 100 / 16–17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक आयुक्त, विशेष वृत, राजस्थान जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 का कर निर्धारण आदेश केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत दिनांक 26.05.2016 को पारित करते हुए, अपीलार्थी द्वारा घोषणा प्रपत्र 'सी' का दुरूपयोग किया जाना मानते हुए केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10ए के तहत कर की दुगुनी शास्ति रूपये 15,30,366 / – का आरोपण किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त राशि में से रूपये 13,77,329 / – की वसूली की कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2016 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 13,77,329 / – की वसूली के स्थगन का निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के अपील स्थगन प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री एस. के. जैन ने कथन किया कि आयातित माल कैपिटल गुड्स एवं कच्चे माल के रूप में घोषणा प्रपत्र 'सी' के समर्थन से आयात किया गया है, जिसमें उसके द्वारा कोई अविधिक कृत्य नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए अविधिक रूप से शास्ति का आरोपण किया गया है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी ने भी अपीलार्थी लगातार..............2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........1524 / 2016..................................... जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स निर्मल कार्स प्रा. लिमि., जी–1, ए–2, ग्राउण्ड फ्लोर, कॉर्पोरेट टॉवर, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

बनाम

1. सहायक आयुक्त, विशेष वृत, राज., जयपुर 2. अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वा. कर, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11 / 08 / 2016	का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक भूल की गयी है। विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी द्वारा चाहे गये स्थगन में से रूपये 5,00,000 / – की राशि राजकोष में जमा करवाई जा चुकी है। अतः प्रकरण में बकाया राशि रूपये 8,77,329 / – ही रहती है। अतः प्रकरण में सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में बताते हुए उक्त राशि का स्थगन स्वीकार किये जाने पर बल दिया। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री रामकरण सिंह ने कर निर्धारण आदेश व अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन करने तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के अवलोकन के पश्चात, **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि **रूपये 8,77,329 / –** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** **अध्यक्ष** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	